जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर
न्यायालय परिसर, उदयपुर
फोन नं. 0294–2412210, फैक्स नं.– 0294–2418303

क्रमांक: 04/2018 दिनांक :–10/8/18

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर की तालुका विधिक सेवा समितियों में वर्तमान में निम्नानुसार कनिष्ठ सहायक के 10 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 10 पद रिक्त है।

क्रम सं.	तालुका विधिक सेवा समिति का नाम	आवंटित पदों का विवरण	
		कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड–द्वितीय	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1	मावली	1	1
2	वल्लभनगर	1	1
3	कानोड	1	1
4	भीण्डर	1	1
5	सलूम्बर	1	1
6	सराडा	1	1
7	झाडोल	1	1
8	गोगुन्दा	1	1
9	कोटडा	1	1
10	खेरवाडा	1	1

राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप–2) विभाग का आदेश क्रमांक प.8(1) विधि – 2/वि. र.स./(148) 2017/851 दिनांक 04.07.2018 , राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 41784–41821 दिनांक 28.02.2018 व पत्र क्रमांक 17359–17393 दिनांक 16.07.2018 के अनुक्रम में उदयपुर न्यायक्षेत्र में कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विभागो/पीएसयू से सेवानिवृत्त कार्मिक से संविदा पर सेवाएं ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएं दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेगें। उक्त संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका में रिक्त पदो के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उक्त शर्तो के अधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 30.08.2018 को 5.00 पीएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, उदयपुर की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/udaipur** से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती हैं कि दिनांक 30.08.2018 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, उदयपुर की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
उदयपुर

कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :— ....
2. पिता/पति का नाम :— ....
3. जन्म तिथिः— ....
4. पता मय मोबाईल नम्बर :— ....
....
....

5. आयु (दिनांक 01.03.2019) :— .... वर्ष .... माह .... दिन
6. अर्हताएं :— ....
7. मूल विभाग का नाम :— ....
....

8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :— ....
....

9. अनुभव :— ....
....

10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) ....
एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।) ....
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) ....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1)...................... (2)...................... (3)......................
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं......................

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :—

स्थान :—

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती . . . . पुत्र/पत्नी . . . . जो सेवानिवृत्ति से पूर्व . . . . पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती . . . . की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती . . . . रूपये . . . . मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती . . . . अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती . . . . के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील